राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एवं तृतीय तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Mail ID –rajssa_plan@yahoo.co.in

क्रमांकः रास्कूशिप–जय / यू–डाइस / 2025–26 / दिनांकः

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषयः यूडाइस 2025–26 डाटा संकलन के प्रथम चरण में यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यार्थियों के वर्ष 2024–25 से 2025–26 में प्रोग्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान में संचालित सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE: Unified District Information System for Education) के अन्तर्गत ऑनलाईन प्लेटफॉर्म https://udiseplus.gov.in के माध्यम से विद्यालय लॉगिन से समस्त ऑकडों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

इस क्रम में शैक्षणिक वर्ष 2025–26 हेतु यूडाइस डाटा संकलन प्रारंभ किया गया है जिसके प्रथम चरण में विद्यालयों को यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेन्ट मॉडयूल में पिछले वर्ष में प्रदर्शित समस्त विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कर वर्ष 2025–26 में हस्तान्तरित किया जाना है। पोर्टल पर विद्यार्थियों का वर्ष 2024–25 से 2025–26 हेतु प्रोग्रेशन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा :–

- सर्वप्रथम विद्यालय को https://udiseplus.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध लिंक ***Know Your School*** के द्वारा अपने विद्यालय के यूडाइस कोड की वर्तमान स्थिति की जांच करनी है। प्रोग्रेशन केवल ***Operational*** विद्यालय द्वारा ही किया जा सकेगा। ***Operational*** के अलावा अन्य स्थिति वाले विद्यालयों द्वारा प्रोग्रेशन का कार्य नहीं किया जाना है। ऐसे विद्यालय पूर्व में जारी व संलग्न दिशा–निर्देश राजकाज क्रमांक–15878023 दिनांक 12–06–2025 के अनुसार विद्यालय को पोर्टल पर ऑपरेशनल करवा सकेंगे।

- विद्यालय को प्रोग्रेशन का कार्य करने से पूर्व अपने विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल की जांच करनी है। जिससे विद्यार्थियों को सही प्रोग्रेशन हो सकें। विद्यालय अपनी बेसिक प्रोफाइल पोर्टल पर उपलब्ध School Directory / User Management मॉड्यूल में लॉगिन कर प्राप्त कर सकते है। बेसिक प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन पूर्व में जारी व संलग्न दिशा–निर्देश राजकाज क्रमांक–15878023 दिनांक 12–06–2025 के अनुसार **A01** व आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से करवाया जा सकेगा। **विद्यालयों को यह ध्यान रखना है कि जब तक विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल अपडेट ना हो जावें तब तक विद्यार्थी प्रोग्रेशन का कार्य नहीं किया जावें।**

- विद्यालयों द्वारा बेसिक प्रोफाइल सही होने/अद्यतन होने के पश्चात् यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेन्ट मॉड्यूल में लॉगिन उपरान्त वर्ष 2025–26 सलेक्ट कर बांये पेनल में उपलब्ध Student Movement and Progression -> Progression Activity -> Go -> Select Class -> Select Section -> Go के माध्यम से प्रदर्शित सभी कक्षा व सेक्शन के सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन का कार्य किया जाना है।

- विद्यार्थी के प्रोग्रेशन में प्रत्येक विद्यार्थी की चार कॉलम की सूचना (Progression Status, Last year Mark in Percentage 2024-25, No. of Day Attended in 2024-25, Schooling Status) अंकित की जानी है तथा अंतिम कॉलम में प्रदर्शित अपडेट लिंक के माध्यम से सेव किया जाना है।

- जिन विद्यार्थी ने किसी भी कारण से विद्यालय से छोड दिया है या विद्यार्थी की टीसी जारी की जा चुकी है उस स्थिति में Schooling Status कॉलम में Left School with TC/ Without TC सलेक्ट किया

जाना है। जिससे विद्यार्थी अन्य विद्यालय के Import किये जाने हेतु Drop Box में उपलब्ध हो सकें और देश में किसी भी विद्यालय द्वारा Import किया जा सकें।

- प्रोग्रेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के सामने अंतिम कॉलम उपलब्ध Correction लिंक के माध्यम से सही किया जा सकेगा।
- विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन होने के पश्चात् बांये पेनल में उपलब्ध Student Movement and Progression -> Progression Activity -> Finalize Progression के माध्यम से प्रोग्रेशन कार्य को पूर्ण किया जाना है। प्रोग्रेशन को पूर्ण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन सही किया गया है क्योंकि Progression Finalize होने के उपरान्त उसमें करेक्शन/अद्यतन संभव नहीं होगा। Progression Finalize करने के उपरान्त ही विद्यालय का प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण माना जावेगा।
- विद्यालय का प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही सत्र 2025–26 से सम्बन्धित विद्यार्थी प्रोफाइल अपडेशन एवं अपार आईडी जनरेशन का कार्य किया जा सकेगा।

अतः सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को निर्देशित किया जाता है वे अपनी परिक्षेत्र के सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के प्रोग्रेशन का कार्य 31 जुलाई 2025 तक करवाना सुनिश्चित करावें जिससे विद्यालयों द्वारा यूडाइस डाटा फीडिंग का कार्य सुगमता से किया जा सकें।

संलग्नः पत्र राजकाज क्रमांक–15878023 दिनांक 12–06–2025

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान।
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
7. निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।
8. सचिव, मदरसा बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
9. सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
11. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिलें।
14. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्व्यक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
15. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय), समस्त जिले।
16. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक मुख्यालय), समस्त जिले।
17. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
18. नोडल अधिकारी, यूडाइस प्लस (संस्कृत शिक्षा, मदरसा,समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग)।
19. पीईईओ एवं यूसीबीईईओ, समस्त जिले।
20. समस्त प्रधानाचार्य राउमावि/महात्मा गांधी विद्यालय/स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल/समस्त पीएमश्री विद्यालय।
21. सम्बन्धित अधिकारी।
22. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :25-06-2025 12:15:44